सेन्ट्रल प्लान स्कीम मोनिटरिंग सिस्टम
(CPSMS)

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

नीतीश मिश्रा
मंत्री
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

संदेश

एक जन प्रतिनिधि के रूप में मैंने पाया है कि ग्रामीण विकास विभाग के गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजनाओं की पूर्ण जानकारी अत्यन्त ही आवश्यक है। मेरे निर्देश पर विभाग द्वारा सभी माननीय सदस्यों के लिए विभाग की हर योजना के लिए पत्रिका के रूप में समुचित जानकारी रेडी रिकोनर के रूप में अलग-अलग तैयार किया गया है। चौदह पत्रिकाओं की सिरिज में यह पत्रिका **सेन्ट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम (CPSMS)** से संबंधित है। इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दिशा-निर्देश इत्यादि सरल भाषा में आपके लिए संग्रहित कर दिये गये है।

आशा है कि इसका उपयोग कर आप बिहार के गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास में महती भूमिका निभायेंगे।

शुभकामनाओं सहित।

नीतीश मिश्रा

प्रस्तावना

माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के नेतृत्व एवं दिशा-निर्देश में विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए पत्रिकाएं तैयार की गयी हैं। इन पत्रिकाओं में सरल भाषा में समुचित जानकारी दिये जाने का प्रयास किया गया है। इन योजनाओं के उद्देश क्या हैं, इनका क्रियान्वयन कैसे होता है, निधि कैसे उपलब्ध होती है, लक्षित वर्ग कौन हैं, किस प्रकार की सहायता दी जाती है, किस प्रकार के कार्य किये जाते हैं, क्या करना चाहिये एवं क्या नहीं करना चाहिये, राशि की उपयोगिता किस प्रकार की जानी है, वित्तीय एवं सामाजिक अंकेक्षण क्या है, योजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाना है, कौन जवाबदेह है, शिकायत किस प्रकार एवं कहाँ की जानी है, इत्यादि को इन पत्रिकाओं में बताने का प्रयास किया गया है।

•

आशा है कि यह पत्रिका आपके लिए उपयोगी साबित होगी।

शुभकामनाओं सहित।

अमृत लाल मीणा
सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

सेन्ट्रल प्लान स्कीम मोनिटरिंग सिस्टम (CPSMS): एक परिचय

CPSMS, योजना आयोग द्वारा शुरू की गयी एक व्यवस्था है, जो कंट्रोलर जेनेरल ऑफ अकाउन्ट्स के कार्यालय के द्वारा, NIC के सहयोग से, सारे देश में लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था कायम करना है जो योजना आयोग तथा योजना के कार्यान्वयन में लगे सभी सम्बन्धित निकायों/ व्यक्तियों को उपयोगी सुचना समय उपलब्ध करा सके।

CPSMS में उपलब्ध सुविधायें:

1. किसी भी तरह का भुगतान करने हेतु भुगतान आदेश CPSMS के द्वारा बनाया जा सकता है।

2. चुकि भुगतान आदेश CPSMS के द्वारा ही बनाया जाता है, इस कारण से CPSMS में उपलब्ध

MIS हमेशा अद्यतन रहेगा।

3. किसी भी बैंक के खाते, यदि CPSMS में पंजीकृत हो तो, की अद्यतन स्थिति CPSMS में देखी जा

सकती है।

वर्त्तमान में विभिन्न राज्यों में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में CPSMS के उपयोग हेतु पायलट प्रोजेक्ट चलाये जा रहे हैं। बिहार में मनरेगा के कार्यान्वयन हेतु पायलट, वर्ष 2011-12 में आरम्भ हुआ था। प्रारम्भ में इसका उपयोग केवल विभिन्न निकायों के बैंक खाते का अवशेष

देखने हेतु किया जा रहा था। परन्तु बिहार में CPSMS का उपयोग कर निधि प्रबंधन हेतु नयी नीति लागू की गयी है जिसके फलस्वरूप विभिन्न निकायों में पड़े रहने वाले अव्यव्हृत निधि में लगभग पच्चीस प्रतिशत की कमी आयी है।

बिहार में मनरेगा हेतु लागू नये निधि प्रबंधन नीति के मुख्य बिंदु:

- राज्य स्तर के सिवा प्रत्येक निकाय (प्रत्येक जिला, प्रखंड तथा पंचायत) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक ''शून्य अवशेष खाता'' (Zero Balance Account) खोलेंगे।

- प्रत्येक पंचायत का ''शून्य अवशेष खाता'' अपने प्रखंड के '' शून्य अवशेष खाता'' से जुड़ा रहेगा, इसी तरह से प्रत्येक प्रखंड का ''शून्य अवशेष खाता'' अपने जिले के ''शून्य अवशेष खाता'' से जुड़ा रहेगा तथा अंतत: हरेक जिले का ''शून्य अवशेष खाता'' राज्य पूल खाते से जुड़ा रहेगा।

- कोई भी निकाय राशि की आवश्यकता होने पर CPSMS के द्वारा भुगतान आदेश जनित कर, भुगतान कर सकते हैं। भुगतान करने हेतु बैंक सम्बंधित निकाय के ''शून्य अवशेष खाता'' को नामे (Debit) करेगी। प्रत्येक दिन बैंक के दिवसांत (End of Day) प्रक्रिया के वक्त निकाय के ''शून्य अवशेष खाता'' को अपने सम्बंधित निकाय के ''शून्य अवशेष खाता'' से राशि मिल जायेगी तथा ''शून्य अवशेष खाता'' में शून्य राशि बची रह जायेगी।

उपर्युक्त प्रणाली पूर्णत: लागू हो जाने के बाद किसी भी योजना की सारी राशि राज्य स्तर पर किसी एक खाते में जमा रहेगी। ऐसा होने पर विभिन्न निकायों में पड़े रहने वाले अव्यव्हत राशि में लगभगा पचास प्रतिशत की कमी आयेगी। वर्तमान में CPSMS Phase I के तहत मनरेगा में जिला स्तर तक शत प्रतिशत ''शून्य अवशेष खाते'' सक्रिय कर दिए गए हैं। CPSMS Phase II के तहत, 12 जिलों के 69 प्रखंडो में पंचायत स्तर तक '' शून्य अवशेष खाते'' सक्रिय कर दिए गए हैं, परन्तु इन पंचायतों में राशि '' शून्य अवशेष खाते'' से निकाल कर पंचायत के दूसरे खाते में जमा किये जा रहे हैं। यह एक अंतरिम प्रक्रिया है तथा CPSMS Phase III में राशि ''शून्य अवशेष खाते'' से निकाल कर सीधे लाभार्थी के खाते में जमा कर दिए जाऐंगे। नालंदा जिले के पांच प्रखंडों में CPSMS Phase III पायलट के रूप में चलाया जा रहा है। पायलट के दौरान पाया गया कि चूकि लाभार्थियों का खाता साधारणतया: डाक घर में होता है तथा डाक घर अभी तक कोर बैंकिंग से लैश नहीं हैं, इस कारण भुगतान में हो रही देरी में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा है। इस कारण से विभाग ने एक अंतरिम व्यवस्था के तहत CPSMS Phase II लागू करने का निर्णय लिया। इसी दौरान राज्य में मनरेगा में लाभार्थियों का खाता बैंक में खुलवाने का अभियान चलाया गया है, जिसके पूर्ण होने के बाद CPSMS Phase III सारे राज्य में लागू किया जायेगा।

इसी दौरान CPSMS तथा nrega.nic.in के एकीकरण का कार्य भी पूर्ण हो जाएगा, जिसके बाद MORD का MIS भी CPSMS के द्वारा उपलब्ध कराये गए डाटा से स्वत: अपडेट होता रहेगा।

विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान इंदिरा आवास के लाभार्थियों को भुगतान भी CPSMS के द्वारा ही किया जायेगा

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार
मुख्य सचिवालय, पटना-800 001
द्वारा जनहित में जारी

Bharat Printing Works #9334080903